राजस्थान सरकार

औषधि नियत्रंण संगठन स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर राजस्थान

क्रमांकः डीसी / डी–1 / प्रतिबंधित / 2016 / दिनांकः

समस्त सहायक औषधि नियत्रंक,
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी,
राजस्थान

विषयः– भारत सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26–A के तहत औषधियों के नियत खुराक संयोजन (Fixed Dose Combination) को प्रतिबन्धित किये जाने के क्रम में।

संदर्भः– भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक SO No. 705 (अ) से 754(अ) दिनांक 10.03.2016 तथा 963(अ) से 1048(अ) दिनांक 10.03.2016 एवं संगठन का पत्र क्रमांक डीसी / डी–1 / प्रतिबंधित / 2016 / 224 दिनांक 16.03.16

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 26–A के तहत औषधियों के नियत खुराक संयोजन (Fixed Dose Combination) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक SO No. 705 (अ) से 754(अ) दिनांक 10.03.2016 तथा 963(अ) से 1048(अ) दिनांक 10.03.2016 के अनुसार भारत में विक्रयार्थ विनिर्माण, विक्रय और वितरण को प्रतिबंधित किया गया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि प्रतिबंधित औषधियों का स्टोक पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 व नियमावली 1945 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्यवाही कर संगठन को सूचित करें।

Sd

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः डीसी / डी–1 / प्रतिबंधित / 2016 / 318 दिनांकः 26/04/2016

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार।
3. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विस कोर्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
6. अध्यक्ष, राजस्थान फार्मास्यूटिकल्स मेन्यूफेक्चरिंग एसोशिएसन, जयपुर को पालनार्थ।
7. अध्यक्ष, राजस्थान केमिस्ट एसोशिएसन, जयपुर को पालनार्थ।
8. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि पत्र को विभागीय वेबसाईट पर इम्पोटेन्ट लेटर पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
9. गार्ड फाईल।

औषधि नियंत्रक,
राजस्थान जयपुर